"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-77/2011/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 5 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(4) इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम या विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये, संबंधित जिलों के स्थानीय नगरीय निकायों में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी (कार्यपालक पदों को छोड़कर) के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 4-77/2011/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-77/2011/18, दिनांक 19-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 19th July 2012

NOTIFICATION

No. F 4-77/2011/18.—In exercise of the powers conferred by section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Conditions of Service of Officers and Servants) Rules, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After sub-rule (3) of rule 5, the following sub-rule shall be added, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Law for the time being in force, only local residents of the districts falling under Baster and Sarguja Division, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in Class-III and Class-IV posts (excluding executive posts) in local urban bodies of the concerned districts, for a period of two years from the date of issue of this Notification."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-77/2011/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(4) इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम या विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये, संबंधित जिलों के स्थानीय नगरीय निकायों में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी (कार्यपालक पदों को छोड़कर) के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 4-77/2011/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-77/2011/18, दिनांक 19-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 19th July 2012

NOTIFICATION

No. F 4-77/2011/18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After sub-rule (3) of rule 8, the following sub-rule shall be added, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Law for the time being in force, only local residents of the districts falling under Baster and Sarguja Division, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in Class-III and Class-IV posts (excluding executive posts) in local urban bodies of the concerned districts, for a period of two years from the date of issue of this Notification."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.